SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, I tried to explain why this was considered important by the Administrative Reforms Commission and why we are considering it. It is a directive by the President that the Act will be strengthened. This is a very contentious area and civil society is rightfully apprehensive that we might do something to curtail the power. Sir, I assure you, Sir, we will debate this whole issue with the Civil Society Organisation, with the CICs, with the Information Commissioners before the proposal is brought to the House. So, all the proposals will contain the exact definition of how it can be curtailed if it is found to be vexatious and we will see to it that no public authority will deny information in the name of this.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, in reply the hon. Minister has mentioned that the Government is examining the constitution of Benches of the Information Commission. Now, the CIC is trying for speedy disposal of complaints by constituting a mechanism of separate Benches. But, it was reported that the Government has taken a stand against this and this stand seriously affects the functioning of the CIC. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is ready to allow the CIC for functioning independently, as an autonomous body, in view of pendency of amendments.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, this is another area where there is a lot of misinformation. The Act currently does not contain any provision regarding constitution of Benches by the CIC or the State Information Commissions. If at all a single Commissioner or two Commissioners work together, it could be held invalid. Therefore, whatever they have done could be struck down. The current Act says that the entire Commission must work together. It is, obviously, not possible and the Information Commissions are working separately. We just want to strengthen that position which is currently going on. Otherwise, it is found to be not legally tenable by the legal advisors. We will see that the current functioning continues under a legal authority.

संसद की बैठकें

*306. **श्री शिवानन्द तिवारी**:
श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:

क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1958 में संसद की 151 बैठकें हुई थीं जबकि वर्ष 2008 में वे घटकर मात्र 46 तक रह गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न लोकतांत्रिक देशों की संसदों की बैठकों की तुलना में भारतीय संसद की बैठकें कम होती हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ख) वर्ष 1958 में लोक सभा की 125 और राज्य सभा की 91 बैठकें हुईं थीं। वर्ष 2008 में संसद के दोनों सदनों की 46 बैठकें हुईं थीं।

(ग) विभिन्न लोकतांत्रिक देशों की संसदों की बैठकों की संख्या, उन देशों की विशिष्ट जरूरतों और आवश्यकता पर निर्भर करते हुए प्रत्येक देश में हर वर्ष अलग-अलग होती हैं। अत: भारत की संसद की अन्य लोकतांत्रिक देशों की बैठकों की संख्या से तुलना करना उचित नहीं होगा।

†*306. SHRI SHIVANAND TIWARI:
SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:††

Will the MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state:

(a) Whether it is fact that sittings of Parliament were upto 151 in the year 1958 in the country while in the year 2008 they have reduced to mere 46;

(b) If not, the fact thereof; and

(c) Whether it is also a fact that sittings of Parliament of India are lesser then sittings of Parliaments of various democratic countries?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): (a) and (b) The sittings of Lok Sabha were 125 in the year 1958 and that of Rajya Sabha were 91. The sittings of both Houses of Parliament were 46 in the year, 2008.

(c) The sittings of Parliaments of various democratic countries vary from country to country and year to year, depending upon the requirements specific to the needs of those countries. Hence, it would not be appropriate to compare the sittings of Parliament of India with that of other democratic countries.

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि डैमोक्रैटिक सैटअप में पार्लियामेंट एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यदि पार्लियामेंट का रोल कम किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ऐसा करके पार्लियामैंट की परफॉर्मैंस को कम किया जाएगा, जिससे एक प्रकार से प्रजातंत्र पर दबाव पैदा होगा। पिछले दिनों लोक सभा स्पीकर ने एक साल में कम से कम 110 दिन संसद की बैठक किए जाने का विचार व्यक्त किया था। मैं इतना जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है? यदि हां, तो संसद की बैठकें बढ़ाने को अमल में लाने की क्या योजना है?

श्री पवन कुमार बंसल: सर, मैं माननीय सदस्य की पहली बात से तो सहमत हूं कि यह जरूरी है कि पार्लियामैंट में बहुत सार्थक काम किए जाएं, लेकिन दूसरी बात इस समय थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने इस सदन में कहा था और मैं माननीय सदस्य को फिर से यह बताना चाहता हूं, चाहे आप उस तरफ हों या इस तरफ हों, हम सभी के लिए सबसे पहला काम यह है कि जितना समय तय हुआ है, उस पूरे के पूरे समय का अच्छा इस्तेमाल हो पाए।

सर, मेरे पास इसके आंकड़ें भी हैं, लेकिन उसमें मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि दोनों सदनों में हमारा लगभग 30% समय बर्बाद हो जाता है और जो काम हम करना चाहते हैं, वह नहीं हो पाता। लोग हमारी तरफ आशा भरी निगाह से देखते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं और यह सरकार भी यही चाहती है कि हम पार्लियामैंट में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएं। उसके लिए अगर अतिरिक्त दिनों की जरूरत होगी, तो वह भी हो जाएगा, लेकिन कानून से उसको बांधा नहीं जा सकता और न ही हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। कानून में पार्लियामैंट के लिए प्रावधान यह है कि दो सैशन्स के बीच में छः महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तक दो सैशन्स के बीच में कभी तीन महीने का अंतर भी नहीं हुआ। उससे कम समय में ही बार-बार हम सैशन बुलाते हैं।

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

राज्य सभा के चार सैशन हो जाते हैं और लोक सभा के तीन सैशन होते हैं। फिर कमेटीज़ भी होती हैं, जो पहले नहीं होती थीं। इन कमेटीज़ में बहुत अच्छा काम हो पाता है। अगर हम यहां पर दिन बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर कमेटीज़ के काम पर असर पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री कलराज मिश्र: फिर तो पार्लियामैंट की बैठकों को ही समाप्त कर देना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दिन उसके लिए बढ़ाएं, लेकिन कानून या संविधान के जरिए नहीं।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया की अलग-अलग डैमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पार्लियामैंट की बैठकें करने की अपनी-अपनी व्यवस्था होती है। मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप देखिए कि 1958 में लोक सभा की 125 बैठकें हुईं और राज्य सभा की 91 हुईं, लेकिन वहीं 2008 में राज्य सभा व लोक सभा की केवल 46 बैठकें हुईं।

हम अपने देश की दूसरे मुल्कों के साथ तुलना नहीं करते, क्योंकि हमारी समस्याएं दूसरे मुल्कों से ज्यादा हैं। वे मुल्क प्रोग्रैस कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी प्रोग्रैस करनी है। मेरा प्रश्न यह है कि 46 दिन तो गांवों में पंचायत ही बैठ जाती है, तो कहां पंचायत और कहां पार्लियामैंट! मेरा यह प्रोपोज़ल है कि साल में पार्लियामैंट की 150 बैठकें होनी चाहिए।

MR CHARIMAN: Question Hour is over.

———————————

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Extraction of Ground Water

*301. SHRI A. ELAVARASAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether huge amount of ground water pumped out in Delhi and other areas across Northern India is the highest in the world and is contributing as much as 5 per cent to the total rise in sea level, as per a study conducted by the National Geophysical Research Institute, Hyderabad;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that our country, along with the neighbouring countries extract 54 trillion litres from the ground every year, a figure that is likely to cause serious concern over the future of water availability; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): (a) and (b) The article titled "Dwindling Ground Water Resources in Northern India, from Satellite Gravity Observations" published in the Geophysical Research Letters (Vol. 36) and jointly authored by Scientists from National Geophysical Research Institute (NGRI), Hyderabad and University of Colorado concludes that "the region lost groundwater at the rate of 54+9 cubic kilometers per year (trillion litres per year) between April, 2002 and June, 2008. This is probably the largest rate of groundwater loss in any comparable-sized region on Earth". The article has further stated that "the total groundwater loss would have contributed 0.16 millimeter per year to global sea level